न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मन मोहन मीना , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2021

उनवान

प्रेमचन्द बैरवा पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी 673 सुमेर नगर न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर जयपुर

बनाम

1 किशनसिंह पुत्र डालूसिंह जायित राजपूत निवासी छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2 उप पंजीयक अधिकारी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3 पटवारी हल्का छापुड़ा खुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
4 राजस्थान सरकारी जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 30.8.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आ0,ख0नं0 1221 रकबा 0.25 है0, 1223 रकबा 0.1760 है0, 1359 रकबा 0.23 है0, 1360 रकबा 0.20 है0, 1367 रकबा 0.18 है0, 1368 रकबा 0.14 है0, 1369 रकबा 0.18 है0, व 1370 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम हरियाला पटवार हल्का छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा स्थित है जिसमे प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा ख0नं0 1223 के दक्षिण में व ख0नं0 1221 के पश्चिम में हाल आराजी खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.21 है0 अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।प्रार्थी ग्राम छापुडा खुर्द से लगते हुए खसरा नम्बर 1223/1 गै0मु0 रास्ता से होकर खसरा नम्बर 1223 में व 1223 में से होकर हाल खसरा नम्बर 1224 में उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 30 फुट चौडे रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 1359 की उत्तरी सीमा तक व उससे अपनी अन्य भूमि से सदैव आता जाता है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नं0 1359 में जाने का एक मात्र उक्त रास्ता ही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं0 1359 व उससे लगती हुई दक्षिण की तरफ स्थित भूमि खसरा नं0 1368, 1369, 1370, 1367, 1360 में आने– जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी छापुडा सडक से हाल खसरा नं0 1223/1 गैर मु0 रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 1224 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 30 फुट चौडा रास्ता जिसे संलग्न छाया प्रति नक्शा ट्रेस में लाल लाईन से दर्शाया है आता–जाता है प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आव्यतिक आवश्यकता है और यह भूमि सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है प्रार्थी की उक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि में पहुंचने के लिए लघुतम व निकटतम स्थिति है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा कथित रास्ता जो हाल नक्शा ट्रेस छायाप्रति में सीमांकित व प्रदर्शित किया है उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थीगण के नाम अंकित उक्त भूमि के सम्बन्ध में दर्ज खातेदारी निर्वासित किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है जिसके लिये प्रार्थी उचित एवं न्याय संगत प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है। अप्रार्थी सं0–1 ने प्रार्थी के विरुद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व बिना किसी अधिकार के प्रार्थी के आने जाने के उक्त रास्ता में बाधा उत्पन्न करता है व रास्ते को बंद करना चाहते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 –1 से उक्त कथित रास्ते की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने व अप्रार्थी सं0–1 के नाम दर्ज खातेदारी समाप्त करवाने के लिये कहा तो उससे भी इंकार हो गया बल्कि उक्त भूमि को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने व राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति करने व रास्ता में निर्माण कर रास्ता बन्द करने व प्रार्थी को रास्ते का उपयोग नहीं करने व स्वयं जबरन काश्त करने की धमकी दी इसलिये प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत हुआ। अतः प्रार्थना–पत्र मयशपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल नक्शा ट्रेस छायाप्रति में लाल लाईन से प्रस्तावित रास्ता हाल खसरा नं0 1223 ग्राम हरियाला, तह0 शाहपुरा की दक्षिणीपूर्वी सीमा से खसरा नं0 1224 की उत्तरी पूर्वी के सहारे–सहारे 30 फुट चौडा रास्ता हाल खसरा नं0 1359 की उत्तरी सीमा तक है। प्रस्तावित रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित किया जाकर उक्त रास्ते की भूमि की अप्रार्थी सं0–1 के नाम दर्ज खातेदारी निर्वासित की जावे व जिसका अमल दरामद हाल राजस्व रिकार्ड व हाल नक्शा ट्रेस में कराया जावे ।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1221 में जाने के लिए एक विकल्प खसरा नम्बर 1224 के उत्तर पूर्वी सीमा पर 10मीटर चौडा व 10 मीटर लम्बा तथा दूसरा विकल्प प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1359 में पहुँच हेतु खसरा नम्बर 1224 की पूर्वी सीमा पर 10 मीटर चौडा व 52 मीटर लम्बा रास्ता हेतु प्रस्तावित किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

अप्रार्थीगण की ओर से श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट प्राप्त की गई । अप्रार्थी गण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी सं0–1 के नाम दर्ज भूमि हाल खसरा नं0 1224 में उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे, 30 फुट चौडा रास्ता कभी किसी भी भाग में रास्ता नहीं रहा है प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में खसरा नं0 1359 में खसरा नं0 1224 की भूमि से कभी भी आवागमन नही रहा है न ही अपने वाहन जीप, ट्रेक्टर, ट्रक व कृषि संसाधन ले गया है वास्तविकता यह हे कि प्रार्थी ने पूर्व में खसरा नं0 1224 के संबंध में अप्रार्थी सं0–1 दवारा न्यायालय के समक्ष हुई मुकदमे की जानकारी न्यायालय से छुपाई है प्रार्थी उक्त प्रकरण में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है खसरा नं0 1224 के संबंध में पूर्व में हुई मुकदमें बाजी का खुलासा विशेष विवरण में दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण के तथ्य प्रार्थना पत्र का आधार बनाने की गर्ज से झूठे व मनगढंत दर्ज किये है खसरा नं0 1359 व उससे लगती हुई भूमि हाल खसरा नं0 1368, 1369, 1370, 1367, 1360 में आने जाने के लिए खसरा नं0–1224 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 30 फुट चौडा रास्ता कभी नहीं रहा है नक्शा ट्रेस प्रार्थी ने गलत पेश किया है। प्रार्थी के पास पूर्व में अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने का रास्ता खसरा नं0 1219, 1220 से होकर खसरा नं0– 1221 से रहा है। प्रार्थी ने जानबूझकर उक्त प्रस्तावित रास्ते की अपनी भूमि की उपयोगिता बढाने व सुविधाजनक उपयोग के लिए नाजायज रूप से मांग की है। अंत में अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र संबंधित कानून धारा–251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है तथा प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी के द्वारा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र तथा पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया गया जिसका विधिवत सुनवाई की जाकर दिनांक 19.4.2022 को विस्तृत आदेश पारित किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अप्रार्थी के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के यहां मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दिनांक 20.6.2022 को खारिज किये जाने पर प्रकरण में सुनवाई की गई ।

वकील अभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार या तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी विकल्प के अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थी ने इसका खण्ड्न करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेज व जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक मनने करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1221 तथा 1359 में पहुँच मार्ग हेतु आराजी खसरा नम्बर 1224 में से होकर तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है । रिकार्ड का अवलोकन करने पर भी पाया गया जाता है कि तहसीलदार शाहपुरा के रिपोर्ट के अनुसार ही प्रार्थी अपनी भूमि में आ जा सकता है इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प पहुँच मार्ग हेतु उपलब्ध हो जाहिर नहीं किया गया है, चूंकि तहसीलदार शाहपुरा ने जो प्रथम प्रस्ताव पेश किया है वह उचित प्रतीत होता है चूंकि उसमें अप्रार्थी की कम भूमि आती है एवं प्रार्थी अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1221 में आसानी से पहुँचकर अपनी अन्य खातेदारी भूमि में आ जा सकता है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित द्वितीय प्रस्ताव में अप्रार्थी की खसरा नम्बर 1221 में से खसरा नम्बर 1359 तक ज्यादा भूमि आती है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त प्रस्ताव संख्या 1 के अनुसार एवं पत्रावली में पेश दस्तावेज का गहनता से परीक्षण करने पर पाया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1223/1 जो कि सिवायचक गै0मु0 रास्ता की भूमि से अपनी भूमि खसरा नम्बर 1223 में से होकर अप्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1224 में से होकर खसरा नम्बर 1221 व अपनी अन्य खसरा नम्बरो की भूमि में आ जा सकता है, तथा यही एक मात्र सुगम व सरल रास्ता पाया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर ग्राम हरियाला पटवार हल्का छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1224 के उत्तरी पूर्वी सीमा पर 10 मीटर लम्बा व 10 मीटर चौडा अर्थात 100 वर्गमीटर भूमि मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के प्रस्तावित संख्या 1 व नक्शा ट्रेस के अनुसार गै0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार शाहपुरा रास्ते हेतु आई भूमि का वर्तमान मे प्रचलित डी एल सी दर से आकलन कर डीएलसी दर की दो गुना राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदार /अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे । तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.8.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर